

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 467 / 2014 / अजमेर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 07 / 11 / 2017

निर्णय


1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 142 / 12-13 / वेट / अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.11.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 03.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि के वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश में सब्सिडी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2012 के अनुसरण में अस्वीकृत किया गया, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गयी है। मेरे द्वारा भी इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केपिटल गुड्स के रूप में समरसेबल पम्प, एमरी टेप रोल, बल्ब, हैंडलाईड असेम्बली, हैंडलैम्प, रेडियल टायर, लाईट फिटिंग, हैलोजन आदि वस्तुओं पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त माल में से रेडियल टायर व ट्यूब्स पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए शेष वस्तुओं पर आई.टी.सी. को स्वीकृत योग्य माना गया। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु केवल केपिटल गुड्स के रूप में क्लेम किये गये माल के सन्दर्भ में है। अपीलीय अधिकारी द्वारा रेडियल टायर व ट्यूब्स की खरीद पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. स्वीकृत योग्य नहीं माना गया है, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं यथा समरसेबल पम्प, एमरी टेप रोल, बल्ब, हैडलाईड असेम्बली, हैंडलैम्प, लाईट फिटिंग, हैलोजन आदि को केपिटल गुड्स की श्रेणी में मानते हुए आई.टी.सी. स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। टायर व ट्यूब केपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं माने जा सकते, जबकि अन्य शेष वस्तुएं केपिटल गुड्स के रूप में उत्पादन के कार्य में प्रयुक्त होती हैं, जिन पर नियमानुसार आई.टी.सी. की देयता बनती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है।
5. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 08.11.2013 की पुष्टि की जाती है।
6. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य